



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने व एससीएसटी एक्ट में 03 अभियुक्त को 05-05 वर्ष का कारावास व 36,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत मु0अ0सं0-189/2011 धारा- 323,325,504 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय एससीएसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1-जयपाल पुत्र मन्नू लोधी 2. कृपाल पुत्र रामसेवक लोधी 3. शिवकुमार पुत्र रामसेवक लोधी निवासीगण मवईजार थाना बिवांर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 05-05 वर्ष का कारावास व 36,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एडीजीसी विजय सिंह



विवेचक-
क्षेत्राधिकारी
परमलाल वर्मा



पैरोकार
थाना - मुस्करा
का0 श्यामनारायण